



- द्वीपसमूह में आज बंद के आहवान को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है।
- शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि आज आयोजित होने वाली परीक्षाएं अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित की जाएंगी।
- केंद्रीय राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन ने द्वीप समूह के विकास से जुड़े केंद्रीय बजट 2026-27 पर जानकारी दी।
- द्वीपसमूह में जैव विविधता जागरूकता और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए द्वीप पक्षी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है।



द्वीपसमूह में आज बंद के आहवान को देखते हुए दक्षिण अंडमान जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 'भारत कुमार बनाम केरल राज्य' मामले में स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था दी है कि बंद लागू करना असंवैधानिक और अवैध है, क्योंकि यह लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है और जनजीवन को बाधित करता है। प्रशासन ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति या संगठन सार्वजनिक सड़कों, राजमार्गों, बस और जलयान मार्गों, डिपो, टर्मिनलों, शैक्षणिक संस्थानों, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। आवाजाही पर कोई रोक नहीं है। परिवहन सेवाओं द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुसार अपनी सेवाएं संचालित की जाएंगी। सार्वजनिक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने पर और हथियार, लाठी, पत्थर या ज्वलनशील सामग्री ले जाना प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा दुकानों, कार्यालयों या संस्थानों को बंद करने के लिए किसी को मजबूर करना अवैध है। बिना लिखित अनुमति के कोई भी बैठक, रैली, जुलूस या प्रदर्शन आयोजित नहीं किया जाएगा। परीक्षाओं, परीक्षणों और मूल्यांकन के संचालन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। स्कूल और कॉलेज के संबंधित अधिकारियों को परीक्षाओं और शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

प्रशासन ने सभी निर्धारित सार्वजनिक कार्यक्रमों और पर्यटन गतिविधियों के निर्बाध संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। नागरिक अपनी दिनचर्या जारी रखने के लिए स्वतंत्र हैं। इस संबंध में किसी भी प्रकार सूचना की रिपोर्ट जिला नियंत्रण कक्ष के टोल फ्री नंबर 1070, दो तीन आठ आठ आठ एक, दो चार शून्य एक दो सात या व्हाट्सएप नम्बर 95318 88844 किया जा सकता है। जिला प्रशासन सभी नागरिकों से शांति और सद्भाव बनाए रखने में सहयोग की अपील की है।



दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया गया है। जिला उपायुक्त ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आज तक पूरे दक्षिण अंडमान जिले में प्रभावी रहेगा। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात मजिस्ट्रेटों, पुलिस कर्मियों और अन्य लोक सेवकों पर लागू नहीं होगा।



शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि आज आयोजित होने वाली परीक्षाएं अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित की जाएंगी। सभी अंचल अधिकारियों और संस्थान प्रमुखों को अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों में परीक्षाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग ने कहा है कि सभी स्कूल सामान्य रूप से कार्य करेंगे, जिसमें पात्र विद्यार्थियों को मिड-डे मील उपलब्ध कराना भी शामिल है। सरकारी स्कूल और कॉलेज आज सामान्य रूप से खुले रहेंगे। डॉ. बी.आर. अंबेडकर प्रौद्योगिकी संस्थान में आज होने वाली अखिल भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षा भी अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएगी।



द्वीपसमूह के दौरे पर आए केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री, जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत द्वीप समूह के विकास से जुड़े बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। श्री जॉर्ज कुरियन ने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के दृष्टिकोण और द्वीप समूह के समग्र विकास पर केंद्रित है। बजट में विशेष रूप से द्वीपों की भौगोलिक स्थिति, जनजातीय आबादी, मत्स्य पालन और पर्यटन को प्राथमिकता दी गई है।

इसमें नीली अर्थव्यवस्था के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र में पकड़ी गई मछलियों को "शुल्क मुक्त", सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन, निर्यात को आसान बनाने और सीफूड प्रोसेसिंग के लिए शुल्क मुक्त सीमा एक प्रतिशत से बढ़ाकर तीन प्रतिशत करने पर जोर दिया गया है। इसके अलावा उन्होंने नारियल संवर्धन योजना, बेहतर अंतर-द्वीपीय कनेक्टिविटी, सीप्लेन योजना, तटीय कार्गो संवर्धन। पर्यटन के क्षेत्र में डिजिटल नॉलेज ग्रिड, गाइड प्रशिक्षण। जनजातीय कल्याण के लिए बजट में अनुसूचित जनजातियों, विशेष रूप से निकोबार जिले में रहने वाले विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के कल्याण और विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।



द्वीपसमूह में जैव विविधता जागरूकता और पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिड़ियाटापू में पहले द्वीप पक्षी महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर मुख्य सचिव, डॉ. चंद्र भूषण कुमार मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। उन्होंने अपने संबोधन में द्वीपों के पारिस्थितिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे उत्सव संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने, जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने और प्राकृतिक विरासत की रक्षा में स्थानीय समुदायों को शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय कुमार सिन्हा और वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। चार दिवसीय इस महोत्सव के दौरान पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास में देखने के लिए विशेष भ्रमण और विशेषज्ञ चर्चा और फोटोग्राफी सत्र का आयोजन किया जाएगा। इसमें मुख्य भूमि से आए इक्कतीस प्रतिभागियों के साथ-साथ सात स्थानीय द्वीपवासी भाग ले रहे हैं। वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस महोत्सव से संरक्षण प्रयासों को मजबूती मिलेगी और स्थानीय समुदायों के लिए सतत आजीविका के अवसर पैदा होंगे।



नेशनल बुक ट्रस्ट और कला एवं संस्कृति विभाग के सहयोग से आयोजित अंडमान निकोबार पुस्तक मेला के दूसरे दिन भी पाठकों और बच्चों की भारी भीड़ देखी गई। इस अवसर पर विभिन्न स्कूलों के दो सौ से अधिक बच्चों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। सभी प्रतिभागियों को NBT द्वारा प्रकाशित पुस्तकें पुरस्कार स्वरूप दी गईं। साहित्यिक सत्र के दौरान 'इतिहास और स्मृतियों के द्वीप' के लेखक कुलप्रीत यादव ने गौरव चौधरी के साथ एक विशेष चर्चा में भाग लिया। आज भी बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। यह मेला 22 फरवरी तक चलेगा।